सराहनीय कार्य

कानपुर देहात पुलिस

#CRACKDOWN **प्रेस नोट** **दिनांक 29.07.2026**

थाना भोगनीपुर क्षेत्र के ग्राम हांसेमऊ में दंपत्ति के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्त के कब्जे से दम्पत्ति से लूटा गया 01 अदद मोबाइल फोन, 6000 रुपये, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध/आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी/लूट/छिनैती की घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात के मार्गदर्शन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय भोगनीपुर के पर्यवेक्षण में, दिनांक 18.07.2026 को थाना भोगनीपुर क्षेत्र के ग्राम हांसेमऊ में दंपत्ति के साथ हुई लूट की घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-242/26 धारा 304(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 28/29.07.2026 की रात्रि में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त लूट से सम्बन्धित दो अभियुक्त मोटरसाइकिल से मूसानगर से होते हुए देवीपुर की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा देवीपुर मलासा रोड पर अकबरनगर गांव की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते के पहले चैकिंग की जा रही थी कि सामने से मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति बडी तेजी से आते हुए दिखाई दिये। पुलिस टीम द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो अचानक मोटरसाइकिल को मोडकर अकबरनगर गांव की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर भागने का प्रयास करने लगे तो मोटरसाइकिल स्लिप करके गिर गयी। पुलिस टीम चेतावनी देते हुए उन्हें पकड़ने के प्रयास में आगे बढी तो उनके द्वारा तमंचे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लग गयी तथा दूसरा अभियुक्त भौगोलिक स्थिति व रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रितिक उर्फ चिप्पा पुत्र

राजेश निवासी ग्राम हारामऊ डेरा थाना भोगनीपुर कानपुर देहात उम्र करीब 23 वर्ष तथा भागे हुए व्यक्ति का नाम सचिन पुत्र रामनाथ निवासी रनियां डेरा थाना भोगनीपुर कानपुर देहात बताया। अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के कब्जे से दम्पत्ति से लूटा हुआ एक अदद एंड्रायड वीवो मोबाइल फोन, 6000 रुपये, एक अदद तमंचा 315 बोर एवं 02 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद जिंदा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल होण्डा (एसपी) बिना नंबर रंग काला बरामद हुए। घायल अभियुक्त को नियमानुसार कार्यवाही करते हुये पुलिस हिरासत में लेकर प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी पुखरायां भेजा गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद होने एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 257/2026 धारा 109(1)/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. रितिक उर्फ चिप्पा पुत्र राजेश निवासी ग्राम हारामऊ डेरा थाना भोगनीपुर कानपुर देहात उम्र करीब 23 वर्ष।

अभियुक्त रितिक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 257/2026 धारा 109(1)/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोगनीपुर कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0-242/26 धारा 304(1) बीएनएस थाना भोगनीपुर कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण:-

1. दम्पत्ति से लूटा हुआ एक अदद एंड्रायड वीवो मोबाइल फोन।
2. 01 तमन्चा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस।
3. 6000 रुपये
4. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल होण्डा (एसपी) बिना नंबर रंग काला

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री अतेन्द्र कुमार
2. उ0नि0 श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह चौकी प्रभारी पुखरायां
3. हे0का0 608 राजीव कुमार
4. हे0का0 257 गजेन्द्र प्रताप सिंह
5. का0 125 कुलदीप समाधिया
6. का0 1098 अमित कुमार
7. रि0का0 अमन कुमार
8. रि0का0 अलकेश

9. रि0का0 879 हेमन्त कुमार
10. रि0का0 1151 आशीष यादव
11. आ0चालक हर्ष चौधरी